UPMH010024242026

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, महराजगंज।
उपस्थितिः–संजय मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा, (जे.ओ. कोड यू.पी. 6257)
जमानत प्रार्थनापत्र सं0–667/2026

रामकिशुन उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र शारदा साकिन मौजा–बेलभरियां, टोला विजयनगर, थाना–चौक, जनपद–महराजगंज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–151/2019
धारा–147, 452, 323, 504, 356, 427, 308 आई०पी०सी०
थाना–चौक, जनपद–महराजगंज

01.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **रामकिशुन** की ओर से उक्त मामले में जमानत हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "दिनांक 12–11–2019 को साम 5.00 बजे मेरी पत्नी पूनम घर में खाना बनाने के लिए मसाला पीस रही थी कि रास्ते के विवाद को लेकर एकाएक प्रार्थी के गाँव के रामकिशुन पुत्र शारदा, पन्नेलाल पुत्र रामकरन, बबलू पुत्र रामकरन, गोविन्द पुत्र रामकिशुन और रामकरन के दोनो साले अन्य दो अज्ञात व्यक्ति एक गोल कायम करके हाथ में लाठी डण्डा लेकर प्रार्थी के घर में घुस कर हमारी पत्नी पूनम देवी को भद्दी भही गालीयां देते हुए घर में घुसकर उसका बाल पकडकर घसीटते हुए लाठी डंडा लात से मारने पीटने लगे उनकी मंशा मेरी पत्नी को जान से मारने की थी मेरी पत्नी को गम्भीर चोटे आई तथा उसके कान का झुमका गले का मंगलसत्र निकाल ले गये घर में रखा सारा सामान तहस नहस कर दिये। शोर सुनकर हमारी मां लीलावती देवी व बहन सम्भावती देवी आयी उसको भी मारे पीटे शोर सुनकर गांव के तमाम लोग इकठ्ठा हो गये तब उपरोक्त लोग छोड़कर भाग गय। सूचना पाकर प्रार्थी घर आया तो पत्नी को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय महराजगंज ले गया जहां उसका दवा उपचार चल रहा है।"

3. मैंने आवेदकगण/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा केस डायरी का

अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में उसका कथन है कि ''प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है, कोई जुर्म कारित नहीं किया है। प्रार्थी को महज रंजिशन गाँव के चन्द दुश्मनानों के प्रभाव में आकर मु0अ0सं0–151/2019 धारा–147, 452, 323, 504, 356, 427, 308 आई०पी०सी० में नामित अभियुक्त बनाया गया है, जो यह दर्शित करता है कि कथित घटना उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से बिना आपराधिक आशय व ज्ञान के कारित होना प्रतीत होती है। प्रार्थी किसी व्यक्ति विशेष या चोटहिल को आपराधिक मानव वध या मृत्यु कारित करने के आशय से कोई अपराध कारित नहीं किया है। मुकदमा काफी बिलम्ब से सोची समझी साजिश के तहत दर्ज कराया गया है. जिसमें बिलम्ब का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह कि चोटहिल पूनम चौहान की डाक्टरी रिपोर्ट में सदर अस्पताल महराजगंज के डाक्टर द्वारा सभी चोटों को सिम्पल नेचर एवं ब्लंट आप्जेक्ट द्वारा कारित होना प्रदर्शित किया गया है। धारा 308 आई०पी०सी० के लिए चोट कारित करने में अपराधी को आशय व ज्ञान का होना आवश्यक है। उक्त मामले में आशय एवं ज्ञान का अभाव है, जो धारा 356 आई०पी०सी० से प्रतीत होता है। जमीनी विवाद को लेकर प्रार्थी एवं वादी मुकदमा से रंजिश चली आ रही है. जिसके सम्बन्ध में वादी एवं अन्य के विरुद्ध एन०सी०आर०नं0–115/2019 धारा–323. 504 आई०पी०सी० में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रार्थी के मुकदमें से बचने के लिए वादी मुकदमा स्थानीय थाने की पुलिस को प्रभाव मे लेकर उपरोक्त मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज कराया है। प्रार्थी पर धारा–308 आई०पी०सी० आयत नहीं होती है। शेष दफायें जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा परीक्षणीय है और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा की दफायें हैं। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी बाद जमानत इस मुकदमें के किसी भी साक्षी को अपने पक्ष में साक्ष्य देने हेतु डरायेगा धमकायेगा, नहीं तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारिख पेशी पर हाजिर अदालत आता रहेगा। यह कि प्रार्थी मुकदमें के विचारण में सहयोग करेगा तथा अनावश्यक कोई रथगन प्रार्थना पत्र नही देगा। प्रार्थी स्थानीय है जिसको, बाद जमानत कहीं भागने या छिपने की आशंका नहीं है। प्रार्थी माननीय न्यायालय में सक्षम जमानत दाखिल करने हेतु तैयार है। प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल व्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि, प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।"

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है आवेदकगण/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर है। अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का जिमानत प्रार्थनापत्र

निरस्त किया जाये।

6. उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली, केस डायरी व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

7. केस डायरी के परिशीलन से विदित है कि आवेदकगण/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की पत्नी को मार पीट कर चोटें करने का आक्षेप है। बचावपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि *मजरूब को आयी चोटों के बारे में डाक्टर ने अपने बयान में कोई कथन नहीं किया है।* आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से अन्तरिम जमानत पर है। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्त पर आरोपित सभी धाराएं 07 वर्ष से अनधिक के कारावास का प्रावधान करती हैं तथा मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले उपरोक्त तथ्यो एवं तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुये जमानत का मामला बनता है और आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. महराजगंज जिले के चौक थाने में दर्ज मु०अ०सं०–151/2019 अन्तर्गत धारा–147, 452, 323, 504, 356, 427, 308 भा0दं0सं0 में प्रार्थी/अभियुक्त **रामकिशुन** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–667/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु0–50,000/–रुपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

01.07.2026

(संजय मिश्र)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, महराजगंज।
UPID 6257